भू–सम्पदाविनियामकप्राधिकरण
(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY, BIHAR)
चौथा/छठातल्ला, बिहारराज्य भवननिर्माणनिगमलिमिटेड, मुख्यालय भवन, परिसर
शास्त्रीनगर, पटना–800023

आदेश संख्या– 103 पटना, दिनांक– 23/03/26

आदेश

बिहार राज्य के अधीन कार्यरत विभिन्न न्यायालयों एवं अर्द्ध–न्यायिक संस्थानों में बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अधिवक्ता कल्याण निधि के लिये 25/–रू0 (पच्चीस रू0) का शुल्क **वकालतनामा** के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का गठन भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एक अर्द्ध–न्यायिक संस्थान के रूप में की गई है। प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन भी राज्य के अन्य अर्द्ध–न्यायिक संस्थानों की भांति किया जाता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना में दायर किये जाने वाली सभी प्रकार के शिकायतवाद के संदर्भ में दायर किये जाने वाला **वकालतनामा** के साथ बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 22 के प्रावधान के आलोक में अधिवक्ता कल्याण निधि के लिये 25/–रू0 (पच्चीस रू0) शुल्क के साथ **वकालतनामा** स्वीकार किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
सचिव,
रेरा,बिहार।

ज्ञापांक–RERA/Legal/106/2025 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, रेरा कोषांग/जॉच आयुक्त, कोषांग/Special Presiding Officer, RERA, BIHAR कोषांग/ न्याय निर्णायक पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारीगण/सभी न्यायालय के कोर्टमास्टर/सभी विधि प्रशिक्षु/सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
रेरा,बिहार।

ज्ञापांक–RERA/Legal/106/2025/435 पटना, दिनांक–ह 23/03/26

प्रतिलिपिः– आई0टी0 कन्सलटेन्ट, रेरा, बिहार, को रेरा, बिहार के पोर्टल पर सर्वसाधारण की सूचना हेतु अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/3/26.
सचिव,
रेरा,बिहार।